

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 01.10.2021

चोर गिरोह के 02 शातिर सदस्य थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी बुलेरो पिकअप गाडी, 2.90 कुन्तल लोहे के छल्ले, 01 आई-10 गाडी बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री बजरंग बली चौरसिया के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री संग्राम सिंह निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर श्री नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 30.09.2021 को थाना खुर्जानगर पुलिस टीम क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली मुखबिर द्वारा सूचना मिली की शिल्पा गार्डन के बराबर वाली गली के पास पुनीत शर्मा के मकान के पास खाली पड़ी जमीन में तीन व्यक्ति एक बुलेरो पिकअप गाडी से चोरी का लोहे का सामान आई-10 गाडी में लाद रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान शिल्पा गार्डन के पास खाली पड़ी जगह के पास पहुंचे कि एक व्यक्ति पुलिस को देख कर भाग गया तथा पुलिस टीम द्वारा बुलेरो पिकअप गाडी के अंदर से दो अभियुक्तों को समय करीब 19:30 बजे बुलेरो पिकअप गाडी व आई-10 गाडी सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उक्त दोनों गाड़ियों को चैक करने पर दोनों गाड़ियों से प्लास्टिक के कट्टों में भारी मात्रा में लोहे के गोल-गोल छल्ले बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- अजय चौधरी पुत्र स्वर्गीय नरेश चौधरी निवासी बिजली घर नंबर 4 के पीछे मौ0 मुरारी नगर कस्बा व थाना खुर्जा नगर बुलंदशहर।
- 2- अनिल पुत्र रवि प्रकाश निवासी लक्सर जनपद हरिद्वार(उत्तराखण्ड)। हाल पता भूरा प्रधान का मकान राजभवन मैरिज होम के सामने मौ0 मुरारी नगर कस्बा व थाना खुर्जा नगर बुलंदशहर।

बरामदगी-

- 1- चोरी की 01 बुलेरो पिकअप गाडी नं0- डीएल-1 एलएई-1545
- 2- चोरी के लोहे के छल्ले (वजन करीब 2.90 कुन्तल)
- 3- 01 आई-10 गाडी नं0 एचआर-26ए 5050

बरामद सामान के बारे में अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अपने फरार साथी के साथ मिलकर लोहे के छल्लो से लदी उक्त बोलेरो गाडी को दिनांक 25.09.2021 को नोएडा के थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना ईकोटेक-3 पर मुअसं-670/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है तथा आज इस लोहे के सामान को बेचने के लिए आई-10 गाडी में भरकर ले जाने वाले थे तथा बरामद आई-10 गाडी अभियुक्त अनिल द्वारा अपने बहनोई की होना बताया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जानगर पर मुअसं-1091/21 धारा 414 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- उ0नि0 रामकुमार, उ0नि0 ओमपाल सिंह, का0 सुनील कुमार, का0 यौगेन्द्र सिंह, का0 जिलेदीन, का0 पवन